17/11/14

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०।
वादी का प्रार्थना पत्र बाद खारिज किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली
शामिल किया गया। पत्रावली बाद तकमील [illegible]
[illegible] में बाद में पत्रावली जि. ले. का. [illegible]
में शामिल हो।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2025	26.03.2025	17.11.2025

बउनवान

1. कंवरपाल पुत्र श्री भोमसिंह जाति जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. सिंघाराम पुत्र श्री राजाराम
2. रामजस पुत्र श्री राजाराम
3. धर्मपाल पुत्र श्री ईश्वरसिंह
4. रोहिताश पुत्र श्री अमरसिंह
5. लीलाराम पुत्र श्री ईशरसिंह जातियान जाट निवासीयान हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. रामबीर पुत्र श्री शेरसिंह
7. रामखिलारी पुत्र श्री चुन्नीलाल
8. राजबाला पुत्री मेहरचन्द जातियान जाट निवासीयान हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री दयाराम तंवर –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री मनोज कुमार प्रजापत –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं0 783/0.22 है40, 784/0.20 है०0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है०, वाके ग्राम हटुण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि राजेन्द्र पुत्र मेहरचन्द, राजबाला पुत्री मेहरचन्द, लीलाराम पुत्र मेहरचन्द हाल निवासी हटुण्डी तहसील मुण्डावर ने केवल अपने हिस्सों का बेचान कर दिया है उपरोक्त लोगो द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर बिना कनवर्जन के प्लोटिंग की जा रही है और उक्त विवादित आराजी बस स्टैण्ड हटुण्डी से लगती हुयी है। जो सोडावास मुण्डावर सडक पर स्थित है। व राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर होने के कारण मूल्यवान भूमि है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी और अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 8 की कब्जे काश्त सामलाती खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकोर्ड में सामलात में खातेदारी का अंकन तथा राजस्व लगान सामलात में जमा कराते आ रहे है तथा सभी कोशेयर अपने अपने हिस्से अनुसार सामलात में काश्त कर रहे है मौके पर काबिज होकर उपयोग और उपभोग कर रहे है।
6. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थी गरीब आदमी है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर रहा है तथा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 8 जो मिन प्रार्थी से रंजिश रखते है और मिन प्रार्थी को सामलाती भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है आये दिन मिन प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने व निर्माण कार्य करने की एलानिया धमकी देते हैं। जिस कारण मिन प्रार्थी का सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिम आया है।
7. यह है कि मिन प्रार्थी के खातेदारी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है और सामलाती आराजी पर हर कोशेयर का सामलात में हर इंच इंच पर कब्जा साबित माना जाता है और अगर अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 8 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है जबकि प्रार्थना पत्र में प्राईमा फेसाई केश व सुविधा का सन्तुलन बहक प्रार्थी के पक्ष में है। जिस हेतू मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 8 को पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिये अप्रार्थीगण सं० 1 ल० 8 को हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि वो मिन प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल ना करे, कब्जे काश्त करने में बाधा ना डाले ना ही निर्माण करे ना ही उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

8. यह है कि मिन प्रार्थी उक्त सामलाती आराजी का मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के बाद कुरेजात के अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है।
9. यह है कि दिनांक 17/03/2025 को मिन प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहा था तो अप्रार्थी सं० 1 ल० 8 दीगर लोगो के साथ आये और मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने व निर्माण कार्य करने की एलानिया धमकी देने लगे बडी मुश्किल से वाका टला बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि वो आराजी ख० नं0 783/0.22 है०, 784/0.20 हैक0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक०, वाके ग्राम हटुण्डी तहसील मुण्डावर में मिन प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल ना करे कब्जे काश्त करने में बाधा ना डाले ना ही निर्माण करे ना ही उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे। ना ही मौके पर क्रोई प्लोटिंग करे तथा अप्रार्थीगण सं० 9 व 10 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे। राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01, 2, 3, 5 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम हटुण्डी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है सही है स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 गलत है स्वीकार नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 इतना सही है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज पूर्व से बंहामी बंटवारा हो रहा है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उपभोग कर रहे है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी पुनः उक्त आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 6 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज पूर्व से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी पुनः उक्त आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी सं० 1, 2, 3 व 5 के उक्त आराजी में कानूनन हक हकूक निहित है प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई अजहद क्षति नहीं होती है प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं० 1, 2, 3 व 5 को हु० ई० दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी सं० 1, 2, 3 व 5 को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। काबिल खरिज है खारिज फरमाया जावे।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 8 जिस कदर बयान किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज पूर्व से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी पुनः उक्त आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है।
9. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 9 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी सं० 1, 2, 3 व 5 बंहामी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 17/03/2025 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है। प्रार्थी को दिनांक 17/03/2025 को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। प्रार्थी ने झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

वकील बहस प्रार्थी :–

1. यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 सामलाती खातेदार हैं तथा विवादित आराजी खसरा नं. 783 (0.22 है0) एवं 784 (0.20 है0), कुल रकबा 0.42 है0, ग्राम हटूण्डी, तहसील मुण्डावर में स्थित है। नकल

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जमाबन्दी में दोनों पक्षों का खातेदारी अंकन स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिससे सामलात में कब्जे काश्त का अधिकार सिद्ध है।

2. प्रार्थी ने दस्तावेज, शपथ–पत्र व जमाबन्दी रिकॉर्ड पेश कर प्रायमा फेसाई अधिकार एवं सामलात में अपने हिस्से का काबिज होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित किया है।

3. अप्रार्थीगण द्वारा बस स्टेंड हटूण्डी के समीप मूल्यवान आराजी पर अवैधानिक प्लॉटिंग, निर्माण व मुन्तकिला का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भूमि कृषि योग्य है और बिना कनवर्जन निर्माण व प्लॉटिंग पूर्णतया अवैध है।

4. दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण ने सामलाती भूमि पर प्रार्थी को बेदखल करने की एतानिया धमकी दी तथा निर्माण/मुन्तकिल का प्रयास किया जिससे बिनायदावी व बिनाय मुकासमत उत्पन्न हुई। इस कारण तत्काल स्थायी संरक्षण (Injunction) आवश्यक है।

5. सामलाती खातेदारी में प्रत्येक कोशेयर का हर इंच पर समान कब्जा माना जाता है। यदि अप्रार्थी निर्माण/मुन्तकिल कर लेते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति पहुँचेगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। प्रार्थी–केस में प्रायमा फेसाई, सन्तुलन सुविधा, अजहद क्षति तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना अत्यावश्यक है कि – प्रार्थी को बेदखल न करें, कब्जे काश्त में बाधा न डालें, निर्माण/प्लॉटिंग न करें, भूमि को रहन/बैय/हिबा/मुन्तकिल न करें, तथा सब रजिस्ट्रार व तहसीलदार महोदय कोई भी दस्तावेज पंजीबद्ध/तस्दीक न करें। और मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाये।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वकील बहस अप्रार्थी :–

1. प्रार्थी का पूरा प्रार्थना पत्र गलत, मनगढ़ंत व आधारहीन है। प्रार्थी ने गलत दस्तावेज पेश कर न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया है। प्रार्थी के दावों से प्रायमा फेसाई अधिकार सिद्ध नहीं होता।
2. विवादित आराजी सामलाती खातेदारी अवश्य है, परंतु अर्सादराज से पक्षकारों के बीच बहामी बंटवारा चला आ रहा है और सभी अपने–अपने हिस्सों पर दशकों से काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। इस स्थिति में प्रार्थी पुनः बंटवारा/दखल संरक्षण माँगने का अधिकारी नहीं है।
3. प्रार्थी ने जो प्लॉटिंगधनिर्माण की बातें बताई हैं वे असत्य एवं अतिशयोक्ति हैं। किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं हो रहा है तथा किसी पक्ष ने प्रार्थी को कभी बेदखल नहीं किया है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

4. दिनांक 17.03.2025 की घटना पूरी तरह झूठी, मिथ्या व मनगढ़ंत कहानी है। इस तारीख को कोई विवाद या बिनायदावी नहीं हुई। प्रार्थी ने झूठी कथा गढ़कर न्यायालय का समय नष्ट किया है।

5. चूँकि सामलाती आराजी में सभी कोशेयर बहामी बंटवारे के अनुसार वर्षों से शांति से काबिज हैं, अतः प्रार्थी को किसी प्रकार की अजहद क्षति होने की संभावना नहीं है। इसलिये प्रार्थी शून्याधिकार है और किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं।

6. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग–परेशान करने व अनैतिक लाभ लेने की नियत से असत्य तथ्यों वाला प्रार्थना पत्र पेश किया है। तीनों तत्व –प्रायमा फेसाई, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति – प्रार्थी के विरुद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र पूर्णतया काबिल–खारिज है तथा हर्जा–खर्च सहित खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3 व 5 के जवाब प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का संक्षिप्त परीक्षण करने पर निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं –

1. यह कि विवादित आराजी सामलाती खातेदारी की अवश्य है, किन्तु रिकॉर्ड व परिस्थितियों से यह प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं होता कि प्रार्थी विवादित भूमि पर पृथक, शांतिपूर्ण व निर्विघ्न कब्जे में था अथवा किसी नवीन परिस्थिति से उसका कब्जा खतरे में आया हो। अतः प्रायमा फेसाई अधिकार प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता।
2. यह कि अप्रार्थीगण ने स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पर अर्सा–दराज से बहामी बंटवारा चला आ रहा है तथा सभी कोशेयर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी इस तथ्य का कोई प्रतिवाद या खण्डन प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः मौजूदा स्थिति में सामलाती भूमि की "हर इंच पर समान अधिकार" की दलील लागू नहीं होती।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2025 की कथित बेदखली व धमकी की घटना को सिद्ध करने हेतु कोई विश्वसनीय दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी, जांच रिपोर्ट या अन्य प्रमाण पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण ने घटना को मनगढ़ंत बताया है। अतः बेदखली अथवा प्लॉटिंग/निर्माण का खतरा सिद्ध नहीं है।
4. यह कि प्रार्थी यह भी दर्शाने में असफल रहा कि उसे किसी प्रकार की अजहद/अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में संभव न हो। सामलाती भूमि में सभी कोशेयर के अधिकार सुरक्षित रहते हैं तथा प्रार्थी के लिये अन्य वैधानिक उपाय खुले हैं। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी सिद्ध नहीं होता।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

5. यह कि सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बहामी बंटवारे की स्थिति में किसी एक पक्ष को रोकना अन्य सहखातेदारों के वैध उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न करेगा।

उपरोक्त संक्षिप्त परीक्षण से यह स्पष्ट है कि धारा 212 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तीनों आधार प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान नहीं हैं। अतः संक्षिप्त विवेचन उपरान्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

सहायक कलक्टर (फ...
मुण्डावर (खैरथल-ति...